न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या– 76/2019
प्रा0पत्र प्रस्तुति दिनांक–22.08.2019
निर्णय दिनांक–11.03.2020

बुद्धिप्रकाश बैरवा पुत्र श्री किशन बैरवा निवासी ग्राम कठमाना तह0 पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, पीपलू जिला–टोंक (राज.)

अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांकः–11.03.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि आराजी ख0न0 1215 रकबा 03 बीघा, ख0न0 1216 रकबा 03 बिस्वा, ख0न0 1217 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, ख0न0 1219 रकबा 01 बिस्वा, ख0न0 1222 रकबा 05 बिस्वा व ख0न0 1224 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। उक्त आराजीयात का अंकन खाता संख्या 609 ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 मे हो रखा हैं। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा हैं एवं उक्त वर्णित आराजीयात के खाता न0 609 में आवेदक का नाम बुद्दु अंकित हो रखा हैं जबकि आवेदक का सही एवं वास्तविक नाम बुद्धिप्रकाश बैरवा हैं। आवेदक ने अपने नाम से जो आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड, पहचान पत्र बने हुए हैं। उनमें आवेदक का नाम बुद्धिप्रकाश पुत्र श्रीकिशन बैरवा अंकित हैं। उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से बुद्दु पुत्र श्रीकिशन अंकित है, उक्त त्रुटी सहवंन व लिपिकीय भूल के कारण हुई हैं। जो एक लिपिकीय त्रुटि है। उसके स्थान पर आवेदक का सही एवं वास्तविक नाम बुद्धिप्रकाश बैरवा पुत्र श्रीकिशन बैरवा अंकित करवाये जाने का प्रार्थी अधिकारी है ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई तथा अप्रार्थी से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी की और से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक व तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी अपना सम्मानजनक नाम बुद्धिप्रकाश पुत्र श्रीकिशन बैरवा हैं जो प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाना चाहता हैं व इस बाबत् आवेदक बुद्धिप्रकाश ने बतौर सबूत अपना आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र पेश किये हैं। जिनकी छाया प्रति संलग्न है। अतः सहवन से जो गलत नाम अंकित गया हैं। वह त्रुटी पूर्ण हैं। जिसको सही किया जाना उचित प्रतित होता हैं।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार व आदेश के बुद्धिप्रकाश पुत्र श्रीकिशन बैरवा की जगह बुद्दु पुत्र श्रीकिशन अंकित कर दिया हैं जबकि प्रार्थी का सही नाम बुद्धिप्रकाश पुत्र श्रीकिशन जाति बैरवा हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड एवं मतदाता पहचान की प्रति पेश की। जिसमें प्रार्थी का नाम सही अंकित हैं लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत अंकित कर दिया गया। जो त्रुटिपूर्ण हैं। जो एक लिपिकीय त्रुटी हैं। जिसकों दुरूस्त किये जाने का प्रार्थी ने निवेदन किया। हमने पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई राजस्व रिकॉर्ड वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र की प्रति से स्पष्ठ होता हैं कि प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम बुद्धिप्रकाश पुत्र श्रीकिशन जाति बैरवा हैं। इस कारण उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का सही नाम अंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना उचित हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम खाता संख्या 609 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 1215 रकबा 03 बीघा, ख0न0 1216 रकबा 03 बिस्वा, ख0न0 1217 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, ख0न0 1219 रकबा 01 बिस्वा, ख0न0 1222 रकबा 05 बिस्वा व ख0न0 1224 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक में बुद्दु पुत्र श्रीकिशन की जगह बुद्धिप्रकाश पुत्र श्रीकिशन जाति बैरवा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता हैं। तहसीलदार, पीपलू निर्णय अनुसार पालना करें। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक **11.03.2020** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)